# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| हेमराज पुत्र भोलूराम मेघवंशी नि. गुणावती तह.मकराना मोहनराम पुत्र रूघाराम मेघवंशी नि. नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी | | पूरणमल पुत्र दुर्जनराम मेघवंशी निवासी नारायणपुरा वगैरह |

राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955

**प्रार्थना–पत्र नम्बर** 159/2021 **RCMS No.** 2021/190

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11/5/2021 | वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनॉक 07.06.2021 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नारायणपुरा पटवार मण्डल नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा 233, 234, 236 में अप्रार्थीगण 1 ता 12 बिना विधिक भू–विभाजन के बेचान हस्तानान्तरण, रहन, बक्शीश, दान इत्यादि नही करे न किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करे, अप्रार्थी संख्या 17 किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे, अप्रार्थी संख्या 19 मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनॉक 07.06.2021 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कुचामन सिटी ( नागौर ) | |
| 7.6.2021 | पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड ... [illegible] | |
| 2/7/2021 | वकील प्रार्थी के आवेदन पर पत्रावली आज ... [illegible] प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने ... [illegible] | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.07.29 17:45:05 IST
Reason: SelfAttested

T.J. क्र. 159/2014 हेमराज V/s पुरखाराम वगैरह

कि पक्षकारगण अधिवक्तागण के मध्य समझौता हो
प्रस्तुत हो चुका इसलिये प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा
जारी किये बिड्रोल खारिज कराया जावे। प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र बाबत
अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 R.T.Act जारी पे
बिड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नकल के बाद रेकार्ड दाखिल दफ्तर
हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.07.29 17:45:05 IST
Reason: SelfAttested